धर्म समाज कॉलिज, अलीगढ़

DHARMA SAMAJ COLLEGE, ALIGARH

(Affiliated to: Raja mahendra Pratap Singh State University, Aligarh)
(Governed by: Dharam Samaj Society)

Accredited by NAAC Grade B++

Mobile No.: 9410647780
Email: dspgcollege@gmail.com
Website: www.dscaligarh.ac.in

दिनांकः 04.07.2025

आवश्यक सूचना

सत्र 2024-25 में बी0ए0 (इतिहास विषय को छोड़कर)/बी0एस-सी0/ बी0कॉम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में चार वर्षीय स्नातक (मानद एवं मानद शोध सहित उपाधि) पाठ्यक्रम में प्रवेश होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक छट्वें सेमेस्टर तक 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, वे चार वर्षीय स्नातक शोध पाठ्यक्रम के लिए अर्ह होंगे एवं जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक छट्वें सेमेस्टर तक 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं, वे चार वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए अर्ह होंगे। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली तथा चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अध्यादेश का अवलोकन करें। (संलग्न) अर्ह अभ्यर्थी तद्नुसार चार वर्षीय स्नातक (मानद एवं मानद शोध सहित उपाधि) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराकर महाविद्यालय की वेवसाइट पर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0ई0पी0-2020 के अन्तर्गत सातवें सेमेस्टर में होगा। अभ्यर्थी छट्वें सेमेस्टर में अध्ययन किये गऐ मुख्य विषय में से किसी एक विषय का चुनाव करेंगे।

किसी भी संकाय के ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक स्तर के मुख्य विषय से अतिरिक्त अन्य विषय में स्नातकोत्तर/ परास्नातक उपाधि हेतु प्रवेश लेना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी भाषा के विषय- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दु तथा प्रयोगात्मक विषय के अतिरिक्त- समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र अथवा शिक्षाशास्त्र विषय में समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराकर महाविद्यालय के पोर्टल पर सम्बन्धित विषय में पंजीकरण कर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

(प्रो0 मुकेश कुमार भारद्वाज)

प्राचार्य

Address: Near Achal Tal, G.T. Road, Aligarh

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (संशोधित) के अनुसार स्नातक, FYUP व स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2025-26 से प्रवेश, पाठ्यक्रम, संकाय, विषयों की चयन व्यवस्था, क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण, निकास एवं पुनः प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश-

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-209/ सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4) दिनांक 02 सितम्बर 2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में यू0 जी0 सी0 द्वारा जारी नीति के अनुरूप स्नातक एवं परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की संरचना में परिवर्तन किये गए हैं, जो सत्र 2025-26 से प्रभावी होंगे | राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अंग्रेजी प्रारूप में इसे विस्तृत रुप दिया गया , इन्हें अंगीकृत करते हुए संशोधित प्रारूप निम्नवत है-

1. पाठ्यक्रम लागू करने का क्षेत्र

यह नियमावली -

1.1. सत्र 2025-26 में कला, वाणिज्य, विज्ञान संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय (मानद व मानद शोध सहित) पाठ्यक्रम यथा बी0 ए0, बी0 एस सी0 एवं बी0कॉम0 तथा एकल विषयों वाले परास्नातक यथा ऍम0ए0, ऍम0एससी0, ऍम0कॉम0 कार्यक्रमों में लागू होगी |

1.2. त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद) यथा बी0एससी(माइक्रोबायोलॉजी), आदि तथा एकल विषयक / संकाय स्नातक यथा बी0बी0ए0, बी0सी 0ए0 आदि कार्यक्रमों पर भी लागू होगी |

1.3. त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर शासनादेश संख्या- 1065/ सत्तर -3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20/04/2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 -22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार न्यूनतम पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में लागू किया गया था, वो अब भी लागू रहेंगे |

1.4. अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, विधि आदि में उनकी नियामक संस्था द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद लागू होगी |

2. पाठ्यक्रम एवं संकाय

2.1. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्ण पालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट , दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री , चार वर्ष की स्नातक (मानद) अथवा चार वर्ष में स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री,पांच वर्ष में स्नातकोत्तर उपाधि तथा नियमानुसार शोध उपाधि प्रदान की जाएगी |

2.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या- 1267/ सत्तर -3-2021-16(26)/2011 दिनांक 15/06/2021 द्वारा इस विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों एवं संकायों का वर्गीकरण/ निर्धारण इस प्रकार है –

कला संकाय के उपसंकाय			**अन्य संकाय**
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	**भाषा संकाय**	**प्रदर्शन कला संकाय**	
रक्षा अध्ययन अर्थ शास्त्र शिक्षा शास्त्र भूगोल इतिहास दर्शन शास्त्र शारीरिक शिक्षा राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान समाज शास्त्र गृह विज्ञान पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान	संस्कृत हिंदी अंग्रेजी उर्दू	चित्रकला संगीत गायन संगीत सितार संगीत तबला संगीत	✓ **विधि** ✓ **कृषि** ✓ **ग्रामीण विज्ञान संकाय** ✓ **शिक्षक शिक्षा** ✓ **वाणिज्य** ✓ **प्रबंधन** ✓ **व्यावसायिक अध्ययन**

इसी प्रकार विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय को भी बहु-विषयकता उपलब्ध करने हेतु पुनः उपसंकायो में विभाजित किया गया है |

विज्ञान संकाय के उपसंकाय		
भौतिक विज्ञान संकाय	**जीवन विज्ञान संकाय**	**गणितीय विज्ञान संकाय**
भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र औद्योगिक रसायन विज्ञान भूगर्भ विज्ञान	वनस्पति शास्त्र जंतु विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान सूक्ष्म जीवविज्ञान पर्यावरण विज्ञान	गणित कंप्यूटर विज्ञान सांख्यिकी

वाणिज्य संकाय के उपसंकाय	
वाणिज्य संकाय	**व्यावसायिक वाणिज्य संकाय**
मुख्य विषय-1	विदेश व्यापार
मुख्य विषय-2	बिक्री संवर्धन एवं विज्ञापन
मुख्य विषय-3	बीमा के सिंद्धांत

2.3. संकाय एक ही प्रवृत्ति के विषयों का एक समूह है | प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने संकाय (कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय) का चुनाव करेगा, यह उसका **"अपना संकाय"** कहा जायेगा |

2.4. कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.), विज्ञान संकाय (B.Sc.), वाणिज्य संकाय (B.Com.) की ही मिलेगी |

2.5. कृषि संकाय में B.Sc. (Ag.) तथा विधि संकाय में LL.B. की डिग्री मिलेगी

2.6. एक विषय के विभिन्न थ्योरी /प्रैक्टिकल/ शोध परियोजना के पेपर को प्रश्नपत्र कहा जायेगा, परन्तु उनके कोड अलग अलग होंगे |

3. प्रवेश प्रक्रिया

3.1. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक उपाधि हेतु होगा |

3.2. राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में (उपलब्ध सीटों के आधार पर) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी |

3.3. आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित संकाय में, सीटों में उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा | प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था तथा अतिरिक्त अंको की व्यवस्था प्रवेश नियमावली में उल्लिखित है |

4. विषयों की चयन व्यवस्था

4.1. प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने संकाय (कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय) का चुनाव करेगा, तत्पश्चात विद्यार्थी अपने संकाय/उसके उपसंकाय से दो मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, यह उसका **"अपना संकाय"** कहा जायेगा | जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छटवें सेमस्टर) तक कर सकता है |

4.2. दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर विषय (Minor Elective) का चयन इस प्रकार करना होगा कि उसके द्वारा चुने गए तीनो विषयों में से कम से कम एक विषय अन्य उपसंकाय अथवा अन्य संकाय से हो | परिणामस्वरुप छात्र के तीनो विषय किसी एक संकाय के **एक ही उपसंकाय के नहीं** होंगे | यह गौण विषय (माइनर इलेक्टिव पेपर) 6 क्रेडिट का एक पूर्ण विषय होगा |

4.3. माइनर / मुख्य विषय के लिए महाविद्यालय SWAYAM पोर्टल से भी कुछ विषयों का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हे छात्र स्वयं ऑनलाइन माध्यम द्वारा पढ़ेंगे, परतु उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित कराई जाएगी|

4.4. यह गौण विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में केवल एक सेमस्टर (प्रथम तथा तृतीय अथवा द्वितीय तथा चतुर्थ सेमस्टर) के लिए ही होगा | इस प्रकार प्रथम वर्ष में छात्र के पास दो मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमस्टर में) एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर होगा |

4.5. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमस्टर) में छात्र अपने गौण विषय (माइनर इलेक्टिव पेपर) का पुनः चुनाव करेगा, जो प्रथम वर्ष वाला भी हो सकता है अथवा उससे भिन्न भी | द्वितीय वर्ष में छात्र के पास दो मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमस्टर में) एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम (केवल तृतीय सेमस्टर में) होगा | इसके अतिरिक्त छात्रों को अपने मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बंधित **एक लघु शोध परियोजना** भी तैयार करनी होगी, जिसमे प्राप्त ग्रेड को सी0 जी0 पी0 ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा |

4.6. सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिए माइनर इलेक्टिव पेपर तैयार कर सकते हैं | ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्सेज का पाठ्यक्रम विश्विद्यालय की बोर्ड ऑफ़ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा | इन अतिरिक्त इलेक्टिव पेपर्स की कक्षाएं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अलग से होंगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी |

4.7. विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष मुख्य विषय बदल सकता है परन्तु यह विषय परिवर्तन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर एक वर्ष के बाद ही संभव है, एक सेमस्टर के बाद नहीं |

4.8. तृतीय वर्ष व आगामी अध्ययन में छात्र के पास अपने दोनों मुख्य विषय ही शेष रहेंगे तथा उन मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में (जिसमे 44 क्रेडिट्स अर्जित किये हों) चतुर्थ वर्षीय स्नातक /स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा रहेगी |

4.9. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात् चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी छात्र को उस विषय में नया प्रवेश लेना होगा ,जोकि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जायेगा |

4.10. चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित) पाठ्यक्रम उन्ही महाविद्यालयों में संचालित होगा जिनमे शोध सम्बन्धी उपकरण जैसे प्रयोगशाला , पुस्तकालय, शोध लिटरेचर आदि उपलब्ध हों | सामान्यतः इस श्रेणी में वो राजकीय/ अनुदानित/ स्ववित्तपोषित महाविद्यालय होंगे, जिनके पास सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सञ्चालन की मान्यता है |

4.11. चतुर्वर्षीय स्नातक अथवा स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा पंचम व षष्ठम वर्ष में भी उसी विषय का अध्ययन करेगा |

4.12. तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात् विद्यार्थी किसी नए विषय (भाषा, विज्ञान व कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर) में भी परास्नातक में प्रवेश ले सकता है | परन्तु नया विषय लेने पर उसे, एक वर्ष की परास्नातक के अध्ययन के बाद कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा | दो वर्ष पूर्ण करने पर ही उसे इस विषय की परास्नातक की डिग्री मिलेगी |

4.13. चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) उपाधि हेतु छात्र को अपने मुख्य विषय के सभी निर्धारित प्रश्नपत्रों का अध्ययन करना होगा |

4.14. यदि स्नातक के तीन वर्षों में उसका सी जी पी ए 7.5 अथवा उससे अधिक है, तब अध्ययन के चतुर्थ वर्ष में, वह छात्र किसी पूर्वनिर्धारित प्रश्नपत्र के स्थान पर आठ क्रेडिट की शोध परियोजना का चुनाव कर सकता है | परन्तु यह शोध परियोजना दोनों सेमेस्टर के एक-एक प्रश्नपत्र के स्थान पर ली जाएगी नाकि एक ही सेमेस्टर के दो प्रश्नपत्रों के स्थान पर | अब वह स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि हेतु अर्ह होगा |

4.15. स्नातकोत्तर के पंचम वर्ष में छात्र को निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ - साथ एक शोध परियोजना अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी, जिसके आठ क्रेडिट्स वर्ष के अंत में, उसके CGPA में जोड़े जायेंगे |

5. रोजगार परक /कौशल विकास (Vocational / Skill Development Courses) के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में-

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या -1969/ सत्तर -3-2021 दिनांक 18-08-2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था की गयी है -

5.1. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय रोजगारपरक विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समिति ,विद्या परिषद्, कार्य परिषद् से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा |

5.2. पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर्स / स्किल डेवेलोपमेंट कॉउंसल आदि के सहयोग से यू0 जी 0सी0 -एन0 एस0 क्यू0 ऍफ़0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों को प्लेसमेंट / इंटर्नशिप की सुविधा मिल सके |

5.3. रोजगार परक पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं-

- Individual Nature - एक सेमस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम
- Progressive Nature - एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमस्टर के साथ बढ़ती जाएगी, परन्तु किसी भी सेमस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा |

5.4. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों के प्रथम तीन सेमस्टर में तीन - तीन क्रेडिट्स (कुल 3x3 = 9 क्रेडिट्स) के कुल तीन रोजगारपरक पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा | स्नातक डिग्री के लिए कुल नौ क्रेडिट्स अर्जित करने हैं , जो वह कम, नियमित अथवा अधिकतम समय में पूर्ण कर सकता है |

5.5. विद्यार्थी अपनी पसंद तथा सुविधनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर उसे ऑनलाइन पोर्टल जैसे UGC, SWAYAM, MOOC's एवं अन्य मान्यता प्राप्त पोर्टल पर भी पूर्ण कर सकता है | इन ऑनलाइन रोजगारपरक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर, अर्जित किये गए क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट को विद्यार्थी महाविद्यालय में जमा कराएँगे, जिससे उन्हें उनके परीक्षा परिणाम में यथा स्थान पर जोड़ा जा सके | ऑफलाइन कोर्सेज के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो भी रोजगार परक कोर्स संचालित हो रहे हों, उन्ही का चुनाव करना होगा |

5.6. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का मूल्याङ्कन 100 अंको में से महाविद्यालय तथा ट्रेनिंग/इंटरशिप/स्किल पार्टनर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा | यहाँ प्रशिक्षण / प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन 60 अंको का तथा थ्योरी मूल्याङ्कन 40 अंको का होगा , उत्तीर्ण होने के लिए दोनों को मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे | रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के ग्रेड अंकपत्र में अंकित नहीं होंगे, अपितु इन्हे योग्य **(QUALIFIED)** अथवा अयोग्य **(NOT QUALIFIED)** टिप्पणी के साथ दर्शाया जायेगा |

6. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Courses)

6.1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों के चार सेमस्टर में दो - दो क्रेडिट्स (कुल 2x4 = 8 क्रेडिट्स) के कुल चार सह-पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा | स्नातक स्तर के निर्धारित सह-पाठ्यक्रम निम्न हैं-

- FIRST SEMESTER - FIRST AID AND HEALTH
  प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
- SECOND SEMESTER- HUMAN VALUES AND ENVIRONMENTAL STUDIES
  मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन
- THIRD SEMESTER: PHYSICAL EDUCATION AND YOGA
  शारीरिक शिक्षा एवं योग
- FOURTH SEMESTER: SOCIAL RESPONSIBILITY & COMMUNITY ENGANGEMENT
  सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक सहभागिता
  (उन छात्रों के लिए जिन्होंने **हिंदी भाषा** को एक मुख्य विषय के रूप में लिया है)
  INDIAN/LOCAL LANGUAGE
  भारतीय / स्थानीय भाषा (अन्य सभी छात्रों के लिए)

6.2. इन सभी सह-पाठ्यक्रमों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम प्राप्तांक 100 में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र द्वारा कराई जाएगी | इनमे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33अंक प्राप्त करने होंगे तथा इनमे प्राप्त ग्रेड्स को सी0 जी0 पी0 ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा | इन्हे उत्तीर्ण किये बिना विद्यार्थी को निकास करने पर, विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री उपाधि आवंटित नहीं होगी |

6.3. इन सभी कोर्सेज का विस्तृत पाठ्यक्रम इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है –

http://learningmedia.in/up-univ-nep-syllabus-2020

7. लघु शोध प्रबंध / शोध परियोजना

7.1. स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी अपने चुने गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित **तीन क्रेडिट** की एक शोध परियोजना पूर्ण करेगा | चतुर्थ सेमेस्टर में पूर्ण न होने की स्थिति में इसे ग्रीष्मावकाश अथवा तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी किया जा सकता है, किन्तु द्वितीय वर्ष उक्त शोध परियोजना को उत्तीर्ण करने पर ही पूर्ण माना जायेगा |

7.2. यह शोध परियोजना इंटर डिसिप्लिनरी भी हो सकती है अथवा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है | शोध परियोजना एक शिक्षक मेंटर के निर्देशन में की जाएगी तथा इसमें एक अन्य शिक्षक को, जो किसी उद्योग, कंपनी अथवा तकनीकी संस्थान में कार्यरत हो, को-सुपरवाइजर के रूप में भी लिया जा सकता है |

7.3. शोध परियोजना का शीर्षक मेंटर द्वारा आवंटित किया जायेगा | स्नातक स्तर पर यह शोध परियोजना सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षक की देखरेख में, छात्र संख्या अधिक होने पर, चार से छह विद्यार्थियों के समूह बनाकर , सामूहिक रूप से जमा की जाएगी | स्नातक स्तर पर महाविद्यालय द्वारा , परियोजना हेतु, दो में से के एक मुख्य विषय का चयन, छात्र संख्या के अनुपात में एकसमान रूप से किया जाना चाहिए | सामूहिक रूप से जमा की गयी यह शोध परियोजना लगभग चालीस से पचास पृष्ठों की होगी |

7.4. स्नातक स्तर पर छात्र द्वारा द्वितीय वर्ष के बाद की गयी शोध परियोजना की रिपोर्ट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा की जाएगी | जिसका मूल्याङ्कन विश्विद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक एवं आतंरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंको में से किया जायेगा तथा इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 अंक आवश्यक होंगे |

7.5. स्नातक (शोध सहित) चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर पंचम वर्ष में भी अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी जोकि चतुर्थ व पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमस्टर में चार चार क्रेडिट्स की होंगी | परन्तु इसका मूल्याङ्कन वर्ष के अंत में किया जायेगा तथा छात्र को वर्ष के अंत में ही आठ क्रेडिट एकसाथ प्राप्त होंगे |

7.6. पी0जी0डी0आर0 में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच डी कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा | स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता बिना परास्नातक पूर्ण किये भी पीएच 0 डी0 प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अर्ह होगा |

7.7. स्नातकोत्तर स्तर पर शोध परियोजना का शीर्षक मेंटर द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित कर दिया जायेगा | चतुर्थ व पंचम वर्ष में यह शोध परियोजना सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षक की देखरेख में, छात्र संख्या अधिक होने पर, चार से छह विद्यार्थियों के समूह बनाकर , सामूहिक रूप से तैयार करायी जाएगी |

7.8. विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमस्टर में की गयी शोध परियोजना की एक संयुक्त शोध परियोजना महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्याङ्कन वर्ष के अंत में विश्विद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक एवं आतंरिक परीक्षक द्वारा **संयुक्त रूप से 100 अंक (75 शोध प्रबंध+ 25 शोध पत्र) में से किया जायेगा तथा इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 अंक आवश्यक होंगे | यदि मात्र शोध प्रबंध जमा किया जाता है तो अधिकतम प्राप्तांक 75 होंगे व शोध पत्र प्रकाशित होने पर ही शेष 25 अंक प्राप्त होंगे |**

7.9. विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेंट, प्रकाशन अथवा शोध पत्र ISSN युक्त जर्नल अथवा ISBN युक्त बुक चैप्टर के रूप में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाएगा| **25 अंक पेटेंट अथवा शोध पत्र के प्रकाशन पर ही देय होंगे अन्यथा प्राप्तांक 75 अधिकतम अंक ही देय होंगे जबकि अधिकतम पूर्णांक 100 ही होंगे** | दो राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार /संगोष्ठी में पेपर प्रेजेंट करने पर भी 25 अंक देय होंगे | पेटेंट/शोधपत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाइजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से करने पर भी मान्य होगा |

7.10. स्नातक स्तर, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर, पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की अंक तालिका पर शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0 जी0 पी0 ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा |

7.11. अनुदानित अथवा शासकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक होने की दशा में सुपरवाइजर/ मेंटर ही आतंरिक परीक्षक होगा, परन्तु अन्य सभी महाविद्यालयों में आतंरिक परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा | अध्ययन के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है, इसे पूर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वर्ष में कक्षोन्नति नहीं की जाएगी |

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा-

"क्रेडिट का सामान्य अर्थ है, एक सप्ताह में शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध समय (घंटे)"

अर्थात थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक सेमस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा |

8.2. प्रैक्टिकल/ इंटर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का कार्य करना होगा | शिक्षक के कार्यभार की गणना इस प्रकार की जाएगी-

= HOURS OF THEORY + ½ (HOURS OF PRACTICAL /INTERNSHIP/FIELD WORK)

8.3. शब्द "ऑफर क्रेडिट" तथा "अर्जित क्रेडिट" अलग अलग रूप से प्रयुक्त होगा, विद्यार्थी को प्रवेश के समय सम्बंधित विषयों के क्रेडिट्स ऑफर तो होंगे, परन्तु वह उन क्रेडिट को तभी अर्जित करेगा, जब विषय की आवश्यक परीक्षा में स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होकर ग्रेड अर्जित कर ले |

8.4. **क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण -** क्रेडिट्स सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या - 1816/ सत्तर-3-2021 दिनांक 09/08/2021 के माध्यम से किये जाएँगे |

8.5. विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, दो वर्षों में न्यूनतम 80 क्रेडिट्स अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा तीन वर्षों में न्यूनतम 120 क्रेडिट्स अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है | इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट्स अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक(मानद) अथवा स्नातक(मानद शोध सहित) डिग्री , न्यूनतम 200 क्रेडिट्स अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट्स अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं |

8.6. प्राथमिकता के आधार पर छठवें वर्ष से आगे के वर्षों में, विद्यार्थी को शोध प्रबंध जमा करना होगा ,जिसके मूल्याङ्कन में सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी0 एचडी0 उपाधि प्रदान की जाएगी |

8.7. **क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् री-क्रेडिट की सुविधा-** यदि कोई छात्र एक वर्ष की शिक्षा के बाद 40 क्रेडिट्स का उपयोग कर, सर्टिफिकेट प्राप्त कर निकास कर जाता है, तो उसके क्रेडट्स खर्च मान लिए जाएँगे | यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह अपना मूल सर्टिफिकेट जमा कर 40 क्रेडिट्स अपने खाते में री- क्रेडिट करेगा | जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष के पश्चात् 80 क्रेडिट्स अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है | यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट्स के आधार पर स्नातक डिग्री ले सकता है|

8.8. यदि कोई योग्य छात्र काम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट्स ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त करता है तो न्यूनतम क्रेडिट्स प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा रहेगी परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी | अंतराल के दौरान वह किसी भी अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा |

8.9. **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं-** द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा मुख्य विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएँगे न कि डिप्लोमा की , क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे |

8.10. **संकाय में डिग्री -** तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 88 के 60 प्रतिशत अर्थात न्यूनतम 53 क्रेडिट्स प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे B.A./ B.Sc./B.Com. की उपाधि प्रदान की जाएगी तथा अंतिम वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में वह स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अर्ह होगा |

8.11. **बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन-** यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय के दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर पाता, तो वह बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन डिग्री का पात्र होगा तथा वह उन्ही विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमे स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होती | सामान्यतः इस श्रेणी में विज्ञानं एवं भाषा संकाय के विषयों के अतिरिक्त कला वर्ग के ऐसे विषय आएंगे, जिनमे प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है |

8.12. यदि कोई विद्यार्थी अपने सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के क्रेडिट्स, री-क्रेडिट्स कर आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गए क्रेडिट्स का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है |

8.13. **रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट्स** -रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमस्टर में विद्यार्थी को तीन क्रेडिट्स अर्थात प्रति वर्ष छह क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे | विद्यार्थी इससे अधिक क्रेडिट्स वाले रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी चुनाव कर सकता है ,परन्तु सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में एक वर्ष में छह व दो वर्षों में 09 क्रेडिट्स का ही उपयोग किया जायेगा | **विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट्स के अधिकतम 40 प्रतिशत तक क्रेडिट्स ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अर्जित कर सकता है |**

8.14. **ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित संरचना में ऑनलाइन कोर्सेज निम्न विकल्प प्रदान करते हैं -

(I) कौशल विकास पाठ्यक्रम का ऑनलाइन पोर्टल से चुनाव

(II) माइनर इलेक्टिव विषयों का ऑनलाइन पोर्टल से चुनाव

(III) इसके अतिरिक्त यदि किसी महाविद्यालय में वह विषय न हो, जिसका अध्ययन छात्र करना चाहता है, उनका अध्ययन भी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा किया जा सकता है

इन सभी पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय के पोर्टल पर स्वयं कोर्सेज संचालन समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा

9. उपस्थिति व क्रेडिट वेलिडेशन

9.1. क्रेडिट्स वेलिडेशन (अर्जित क्रेडिट्स) के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा | न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर, ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रेडिट्स अर्जित होंगे अर्थात परीक्षा के बिना क्रेडिट्स अपूर्ण रहेंगे |

9.2. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी |

9.3. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा आयोजित आतंरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे आतंरिक परीक्षा में शून्य अंक आवंटित किये जायेंगे | इस स्थिति में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल पूर्णांक 100 के स्नातक स्तर पर न्यूनतम 33 प्रतिशत, स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत तथा पी0 जी0 डी0 आर0 में 55 प्रतिशत प्राप्तांक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा में प्राप्त करने होंगे |

9.4. यदि कोई छात्र उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश आतंरिक परीक्षा में तो सम्मिलित होता है, परन्तु बाह्य परीक्षा नहीं दे पाता अथवा फेल हो जाता है, तो विद्यार्थी का आगामी वर्षों में महाविद्यालय की आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना वैकल्पिक है, उसके आतंरिक परीक्षा के वही अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित कर, बाह्य परीक्षा के अंको में जोड़ा जा सकता है |

9.5. अनुतीर्ण छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लिए बिना, आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में केवल उन्ही विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिनमे वो फेल घोषित हुए थे |

9.6. स्नातक स्तर पर बाह्य परीक्षा में अधिकतम प्राप्तांक 75 में से न्यूनतम 25 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़ कर) 33 अंक प्राप्त करने पर , तथा परास्नातक स्तर (उच्च शिक्षा के चतुर्थ, पंचम व षष्ठम वर्ष) में बाह्य परीक्षा में अधिकतम प्राप्तांक 75 में से न्यूनतम 30 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़ कर) 40 अंक प्राप्त करने पर, विद्यार्थी उस विषय में उत्तीर्ण होकर, उसके निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकता है |

10. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेश एवं EX- छात्र होने के प्रतिबन्ध

10.1. प्रत्येक छात्र को विषम सेमस्टर से सम सेमस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा, परन्तु इसके लिए विद्यार्थी ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आतंरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो |

10.2. प्रथम से षष्ठम वर्ष तक आवश्यक कुल क्रेडिट्स तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट का वितरण इस प्रकार है –

वर्ष	मुख्य विषयों के क्रेडिट्स	माइनर विषय	कौशल विकास पाठ्यक्रम	अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम	लघु शोध परियोजना	कुल क्रेडिट्स
प्रथम	24	6	3+3 = 6	2x2 = 4	-	40
द्वितीय	24	6	3	2x2 = 4	3	40
तृतीय	40	-	-	-	-	40
चतुर्थ	32/40*	-	-	-	8/0*	40
पंचम	32	-	-	-	8	40
षष्ठम	12	-	-	-	4	16

"*" चार वर्षीय स्नातक (मानद) उपाधि वाले छात्रों के लिए

10.3. यदि छात्र द्वारा, वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित किये जाते हैं, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में "**PASS"** टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा |

10.4. यदि छात्र द्वारा कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित नहीं किये जाते हैं, तो कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये जाने पर ही, उसे उसे वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में **"BACK PROMOTED"** टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा |

10.5. **अनवरत अध्ययन की स्थिति को छोड़कर,** कोई भी विद्यार्थी वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में तब तक कक्षोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विगत वर्ष के कुल क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर लेता |

10.6. यदि विद्यार्थी बिंदु 10.3 अथवा बिंदु 10.4 प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करता, तो **"FAIL"** टिप्पणी के साथ **EX-STUDENT** होगा तथा वह महाविद्यालय में प्रवेश लिए बिना आगामी वर्षों में सम्बंधित विषयों की पुनः परीक्षा देकर आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित कर सकता है |

10.7. विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्रों में निम्न टिप्पणी दर्शायी जाएगी-

PROMOTED	**विषम सेमस्टर से सम सेमस्टर में -** महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आतंरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो	
PASS	वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों	
BACK PROMOTED	**प्रथम से द्वितीय वर्ष में -** कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों | **अन्य वर्षों में -** वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों | तथा विगत वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों
FAIL	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में

10.8. यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमस्टर का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क तो जमा करता है, लेकिन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होता, तो वह आगामी वर्षों में **EX-STUDENT** होगा | परन्तु यदि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं कर पाता है, तो आगामी वर्षों में शुल्क जमा कर उसी सेमस्टर में पुनः नियमित प्रवेश हेतु अर्ह होगा |

10.9. कोई भी एक उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तथा स्नातक उपाधि पूर्ण करने की कुल अधिकतम अवधि नौ वर्ष है | इसी प्रकार चतुर्थ वर्ष अर्थात "Bachelor of Research" तथा पंचम वर्ष अर्थात "Master in Faculty" उपाधि पूर्ण करने की प्रत्येक की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्ण करने की कुल अधिकतम छह वर्ष है है |

10.10. **षष्टम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए :** यह वर्ष उच्च शिक्षा का अंतिम वर्ष होगा जिसे पूर्ण करने पर "**स्नातकोत्तर उपाधि (शोध सहित)"** (Post Graduate Degree of Research) प्राप्त होगी |

- इस वर्ष प्रथम सेमस्टर अर्थात ग्यारहवे सेमस्टर में छात्रों को सम्बंधित विषय के दो पाठ्यक्रम (प्रति छह क्रेडिट्स) तथा एक चार क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम "Research Methodology" का अध्ययन करना होगा |
- इस प्रकार इस सेमस्टर में कुल अधिकतम 16 क्रेडिट्स अर्जित करने के पश्चात् छात्र, शोध की ओर अग्रसर हो जायेगा तथा अगले सेमस्टर से शोध प्रबंध व शोध प्रकिर्या प्रारम्भ करेगा |

11. परीक्षा व्यवस्था

11.1. सभी विषयों की के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिए सतत आंतरिक मूल्याङ्कन तथा 75 अंको के लिए बाह्य मूल्याङ्कन पर आधारित होगी | 25 अंको का आतंरिक मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप असाइनमेंट, क्लास टेस्ट व अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर होगा, जिनका ब्यौरा सम्बंधित विभाग/महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रक्खा जायेगा |

11.2. प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के पाठ्यक्रमों में सतत आतंरिक मूल्याङ्कन की आवश्यकता नहीं है अतः इन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अधिकतम प्राप्तांक की बाह्य परीक्षा द्वारा ही अंक निर्धारित किये जांएगें |

11.3. विद्यार्थी द्वारा अर्जित आतंरिक व बाह्य परीक्षाओं में कुल प्राप्तांक को जोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा निम्न क्रेडिट एवं फार्मूला के आधार पर परसेंटाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर लिया जायेगा-

GRADE	**विवरण**	**अंको की सीमा**	**ग्रेड पॉइंट**
O	OUTSTANDING	91-100	**10**
A+	EXCELLENT	81-90	**9**
A	VERY GOOD	71-80	**8**
B+	GOOD	61-70	**7**
B	ABOVE AVERAGE	51-60	**6**
C	AVERAGE	41-50	**5**
P	PASS	33-40 (स्नातक स्तर के लिए) Absolute 40 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	**4**
AB	ABSENT		**0**
F	FAIL	0-32 (स्नातक स्तर के लिए) 0-39 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	**0**
Q	QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	**0**
NQ	NOT QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	**0**

11.4. SGPA एवं CGPA की गणना इस प्रकार की जाएगी-

FOR J-th SEMSTER- SGPA (Sj) $=\Sigma(Ci\, xGi) / \Sigma Ci$	Where Ci =Number of Credits of the i-th course in j-th Semester Gi = Grade Points scored by the student for i-th course in j-th Semster
CGPA = $\Sigma(Cj\, xSj) / \Sigma Cj$	Where Sj = SGPA for the j-th Semster Cj =Total number of Credits of j-th Semster

CGPAकी प्रतिशत अंको में गणना - समतुल्य प्रतिशत = CGPA X 9.5

11.5. **श्रेणी वर्गीकरण की व्यवस्था -**

- प्रथम श्रेणी - CGPA 6.5 अथवा उससे अधिक
- द्वितीय श्रेणी - CGPA 5.0 अथवा उससे अधिक तथा 6.5 से कम
- तृतीय श्रेणी - CGPA 4.0 अथवा उससे अधिक तथा 5.0 से कम

12. स्नातक एवं परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की संरचना का संशोधित प्रारूप-

Table-1: (to be in effect from 2025-26 session)

{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree	Year	Sem.	Subject I Major Core Own Faculty	Subject II Major Core Own Faculty or Sub-faculty	Subject III Minor Multi-disciplinary Own Faculty or Sub-faculty / Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC) Credits-2	Research Project/ Dissertation/ internship/ Field or Survey Work	{Minimum Credits} for the year
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)		1(3)	1(2)		
{40+40 = 80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Pract-1(2)			1(2)	1(3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-Year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4) + Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) + Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4) + Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) + Pract-1(2)					
Fourth Year									
* Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship / Internship through NATS or from equivalent organization / Industry / Institute				1(40) 1200 hours			40
Or									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4) + Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or						

			Th-4(4) + Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4)		**Students who secure 75% marks in the first 6 semesters**			1(4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4)					1(4)	
{200 } Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4)					1(4)	40
		X	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4)					1(4)	

Abbreviations: Th- means Theory, Pract. means Practical, Blue- Number of Papers and Red-Credits of the Paper.

Table-2: 3 Year Honors/ Single subject program structure

(Cumulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/Diploma/Degree	**Year**	**Sem.**	**Major (Core)** **Own Faculty**	**Minor Multi-disciplinary** **Other Faculty**	**Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship**	**Co-Curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC) Credits-2**	**Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or Survey Work**	**(Minimum Credits) For the Year**
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4) + Pract-1(4)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4) + Pract-1(4)		1(3)	1(2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4) + Pract-1(4)	1(6)	1(3)	1(2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4) + Pract-1(4)			1(2)	1(3) Point 7.1	
{80+40=120} 3- year single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4)				1(4)	
		VI	Th-4(4) or Th-3(4) + Pract-1(4))				1(4)	
OR								
{80+50=130} 3 -year single Subject Honors UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4) + Pract-1(4)				1(5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4) + Pract-1(4)				1(5)	

PROF. SHUBHNESH KR GOYAL
COORDINATOR, NEP, RMPU

PROF. PRADEEP KUMAR
DEAN of Faculty

SH. KAILASH BIND
SUB-REGISTRAR